DETAILS OF FACILITIES PROVIDED TO FEMALE PASSENGERS

i. A reservation quota of 6(Six) Sleeper Class berths in long distance Mail/Express trains and a reservation quota of 6(six) berths in 3AC Class of Garib Rath Express trains is earmarked for female passengers irrespective of age travelling alone or in a group of female passengers.

ii. In all trains having reserved sleeping accommodation, a combined quota of 6 (six) lower berths per coach in Sleeper class and 3(three) lower berths per coach each in AC 3 tier and AC-2 tier classes has been earmarked for Senior Citizens, Female passengers of 45 years of age and above and pregnant women. In case of Rajdhani, Duronto and fully Air Conditioned/Express trains, the number of berths to be earmarked under this quota in 3AC is 4(four) lower berths per coach as against 3(three) lower berths per coach in normal Mail/Express trains.

iii. In the computerized Passenger Reservation System(PRS) there is a provision to allot lower berths to Senior Citizens, Female passengers of 45 years and above automatically, even if no choice is given, subject to availability of accommodation at the time of booking.

iv. After departure of the train, if there are vacant lower berths available in the train and if any person with disability booked on the authority of handicapped concession or a senior citizen or a pregnant woman, who has been allotted upper/middle berth, approaches for allotment of vacant lower berths, the on board Ticket Checking Staff has been authorized to allot the vacant lower berth to them making necessary entries in the chart.

v. Separate counters are earmarked at various Passenger Reservation System(PRS) centers for dealing with the reservation requisitions received from person with disability, senior citizens, Ex. MPs, MLAs, female passengers, accredited journalists and freedom fighters, if the average demand per shift not less than 120 tickets. In case there is no justification for earmarking of an exclusive counter for any of these categories of persons including female passengers or senior citizens, one or two counters depending upon the total demand are earmarked for dealing with the reservation requests for all these categories of persons.

At those reservation offices which have not been computerized and where separate counters for female passengers are not in existence, female passengers are not required to be compelled to join the general queues and are to be attended separately at the same counter as for general passengers.

vi. Accommodation is also earmarked for female passengers in the unreserved coaches of Mail/Express trains.

vii. Separate compartments/coaches have been earmarked in suburban trains for exclusive use of female passengers.

viii. Ladies special trains are also run wherever required and feasible.

ix. Waiting room/halls are earmarked for female passengers at important stations.

x. Separate toilets for female passengers are provided as per norms.

*****

महिला यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

i. अकेले या समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की आयु पर ध्यान दिए बिना लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की स्लीपर श्रेणी में 6 (छह) बर्थों का आरक्षण कोटा और गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों की 3 एसी श्रेणी में 6 (छह) बर्थों का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

ii. आरक्षित स्लीपिंग अकोमोडेशन वाली सभी गाड़ियों में, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाली महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक कोच में 6 (छह) निचली बर्थों और एसी-3 टियर एवं एसी-2 टियर श्रेणियों में प्रत्येक कोच में 3 (तीन) निचली बर्थों का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है। साधारण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रत्येक कोच में 3 (तीन) निचली बर्थों की तुलना में राजधानी, दुरंतो और पूर्णतः वातानुकूलित/एक्सप्रेस गाड़ियों में इस कोटे के अंतर्गत 3 एसी में 4 (चार) निचली बर्थ निर्धारित की गई हैं।

iii. कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं को बुकिंग के समय सीटें उपलब्ध होने पर विकल्प न दिए जाने की स्थिति में भी स्वत: ही नीचे की बर्थें आबंटित करने का प्रावधान है।

iv. गाड़ी के प्रस्थान के बाद, यदि गाड़ी में निचली बर्थ खाली उपलब्ध हो और यदि अशक्त रियायती टिकट के प्रमाण-पत्र पर बुक किया गया कोई अशक्त व्यक्ति अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा गर्भवती महिला, जिसे ऊपरी/बीच की बर्थ आबंटित की गई हो, खाली निचली बर्थ को आबंटित करने के लिए संपर्क करता है तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टि करके उन्हें खाली निचली बर्थ आबंटित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

v. विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों (पीआरएस) पर जहां प्रति शिफ्ट औसत मांग 120 टिकट से कम न हो, अशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व संसद सदस्यों, विधायकों, महिला यात्रियों, अधिकृत पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग काउन्टर निर्धारित किए गए हैं। यदि महिला यात्रियों सहित केवल इन कोटियों के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट काउन्टर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है तो इन सभी कोटि के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोध को पूरा करने के लिए कुल मांग के आधार पर एक अथवा दो काउन्टर निर्धारित किए जाते हैं।

--2/-

वे आरक्षण कार्यालय, जो कंप्यूटरीकृत नहीं किए गए हैं और जहां महिला यात्रियों के लिए अलग से काउंटर नहीं है, में महिलाओं को सामान्य पंक्ति में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है और उनकी सामान्य यात्रियों वाले काउंटर पर ही अलग से लाइन होगी।

vi. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में भी महिला यात्रियों के लिए अकोमोडेशन निर्धारित की गई है।

vii. उपनगरीय गाड़ियों में महिला यात्रियों के विशिष्ट उपयोग के लिए अलग कंपार्ट्मेंट/कोच निर्धारित किए गए हैं।

viii. जहां-कहीं अपेक्षित और व्यवहार्य है महिलाओं के लिए विशेष गाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं।

ix. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महिला यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष/हॉल निर्धारित किए गए हैं।

x. महिला यात्रियों के लिए मानदंडों के अनुसार अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।